(11)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक,बालाघाट मध्यप्रदेश

क्रमांक/पुअ/बाला/शिका/ 2163 /09 दिनांक– 07/2/2009

प्रति,

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
छटवी मंजिल 'बी' विंग लोग नायक भवन
खान मार्किट नई दिल्ली

विषयः– आवेदिका पार्वतीबाई पिता गोवर्धन जाति ढुलियां निवासी नेवरगांव थाना लालबर्रा द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में ।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक संख्या नं. म.प्र./01/अत्याचार/2007/आर.यू.3/दिनांक 11.11.09

विषयांकित आवेदक द्वारा प्रेषित शिकायत का जॉच प्रतिवेदन संदर्भित के परिपालन में निम्नानुसार है ।

1 आवेदकः– पार्वतीबाई पिता गोवर्धन जाति ढुलियां निवासी नेवरगांव थाना लालबर्रा
2 अनावेदकः– लखाराम पिता चैतराम मरार निवासी नेवरगांव + अन्य 6
3 आरोपः– छुआछुत कर मान सम्मान को ठेस पहुचाना ।
4 जॉच निष्कर्षः–उपरोक्त द्वारा इस आशय की शिकायत प्रेषित की गई है कि वर्ष 1992 में उसने राम किसन मरार निवासी नेवरगांव के साथ अर्तजातिय विवाह किया है । अनावेदक लखाराम मरार +अन्य 6 के द्वारा आवेदिका के पति को जाति समाज में मिलाने के लिये 250 रूपये लिये और जाति में नहीं मिलाये तथा दिनांक 24.10.2006 को ग्राम में मण्डई का 51 रूपये चन्दा लिया गया । अनावेदकगणों द्वारा आवेदिका को "आदिवासी जाति की महिला है । मरार समाज के व्यक्ति से शादी कर ली है तो क्या हुआ ? कहकर छुआछुत की भावना रखते हुए, तेरे हाथ का पानी पीने से भ्रष्ट हो जायेगें कहकर चन्दा की राशि फेक कर चले गये ।" आवेदिका के मान सम्मान को ठेस पहुचाकर अपमानीत किया गया है ।

शिकायत पत्र की जॉच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वारासिवनी से कराई गई । जांच के दौरान आवेदिका पार्वतीबाई, अनावेदक लखाराम मरार बालचंद मरार, सुखचरण मरार, दिपचंद मरार, श्रीराम मरार, मंगल मरार, साकिनान नेवरगांव के कथन लिये गये ।

शिकायत जांच पर पाया गया कि आवेदिका आदिवासी समाज की महिला है । जिसका पति फौत हो जाने से वह ग्राम नेवरगांव में रामकिशन जाति मरार नामक व्यक्ति के साथ रह रही है और रामकिशन मरार अपने माता–पिता भाईयों से अलग होकर आवेदिका के साथ रह रहा है । ग्राम वासियों द्वारा वर्ष 2006 में ग्राम में मण्डई मेला के अवसर पर आपसी सहमति से गांव में पैसा एकत्र कर छत्तीसगढी कार्यक्रम रखा गया था तथा कार्यक्रम न होने से उक्त पैसा ग्राम पंचायत में जमा रखा गया जो कार्यक्रम न होने पर आवेदिका द्वारा पेसों की मांग करने पर वह पैसा वापस कर दिया गया । आवेदिका के पति का अपने परिवार से पारिवारिक विवाद होने से **अपने भाई अनावेदक श्रीराम** तथा अन्य अनावेदकों के विरूद्ध अपनी पत्नी पार्वतीबाई से थाना लालबर्रा में रिपोर्ट कराया था । रिपोर्ट पर थाना लालबर्रा में अनावेदकों के विरूद्ध धारा 107,116(3) जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का इस्तगासा न्यायालय पेश किया गया है । आवेदिका द्वारा अनावेदकों को से आपसी रंजिश वश उनके विरूद्ध बढा–चढाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है । जांच में संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया गया ।

जॉच प्रतिवेदन अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है ।

पुलिस अधीक्षक
बालाघाट

प्रतिलिपिः– अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वारासिवनी के माध्यम से आवेदिका को सूचनार्थ ।

पुलिस अधीक्षक
बालाघाट